

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 17.01.2023

थाना कलान पुलिस ने किया हत्या की घटना का खुलासा,

48 घण्टों के अन्दर 02 हत्यारोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व मृतक का फोन बरामद ।

दिनांक 14.01.2023 को थाना कलान के ग्राम लखनपुर पुलिया के पास एक अज्ञात शव बरामद किया गया था जिसकी सिनाख्त मुकीम पुत्र सलीमशाह नि० कस्बा व थाना उसैत जिला बदायूँ हुई। मृतक के पिता श्री सलीम शाह उपरोक्त की तहरीरी सूचना के पर मु०अ०सं० 12/23 धारा 302 भादवि 1. संजीव पुत्र नामालूम 2. पवन पुत्र नामालूम 3.विनय गुप्ता उर्फ बिन्नी पंजीकृत विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

सूचना पर श्री एस आनन्द वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर व श्री संजीव कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वार मय फोर्स के घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री अजय कुमार राय, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के कुशल निर्देशन में पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये।

इसी क्रम में दिनांक 16.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक कलान के नेतृत्व में थाना कलान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. संजीव उर्फ संजू पुत्र बांकेलाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी वार्ड नं० 02 कस्बा व थाना उसैहत जिला बदायूँ हाल पता निवासी ग्राम रूकनपुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर 2.पवन पुत्र बांकेलाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम निवासी वार्ड नं० 02 कस्बा व थाना उसैहत जिला बदायूँ को दिनांक 16.01.2023 को समय 20.25 बजे मौर्या ढाबे के पास से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कलान पर विधिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

नाम पता अभियुक्तगण:-

1. संजीव उर्फ संजू पुत्र बांकेलाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी वार्ड नं० 02 कस्बा व थाना उसैहत जिला बदायूँ हाल पता निवासी ग्राम रूकनपुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर
2. पवन पुत्र बांकेलाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम निवासी वार्ड नं० 02 कस्बा व थाना उसैहत जिला बदायूँ

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद मृतक का मोबाईल फोन TECHNO SPARK 6 AIR
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल नं UP 27 Y 4678 हीरो स्पलेन्डर प्रो

हत्या का कारण:-

अभियुक्त ने बताया गया कि मुकीम उपरोक्त का मेरी बहन से प्रेम प्रसंग था। मना करने के बाबजूद भी मृतक मुकीम नहीं माना। इसलिए हम दोनों भाईयों ने मिलकर मुकीम की दिनांक 13.01.2023 की शाम मुकीम को बहाने से घर बुलाकर अपने ही घर में उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। तथा शव को मोटर साईकिल से ले जाकर लखनपुर रोड पर पुलिया के पास फेंक आये थे तथा मृतक के जूते व रस्सी जिससे उसका गला

घोटा गया था उसको जलाकर नदी में बहा दिया था और निशादेही पर अपने घर से घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल नं- UP 27 Y 4678 तथा मृतक का मोबाईल फोन कम्पनी Tecno Spark 6 Air को बरामद कराया गया । अभियोग में धारा 201 भादवि की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 12/23 धारा 302/201 थाना कलान शाह0

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार सिंह
- 2.उ0नि0 श्री अनवार अहमद
3. कां 1951 पुष्पेन्द्र
- 4.का0 1778 अंकित वर्मा
- 5.चालक सन्दीप कुमार